स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 49, दिनांक 31–01–2025

अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 2,16,000 एमएल आक्सीटोसीन व 1,75,000 एमएल केमिकल (कीमत रूपये 70,00,000/–) बरामद।

दिनॉकः 30–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2,16,000 एमएल आक्सीटोसीन तथा 1,75,000 एमएल केमिकल (कीमत रूपये 70,00,000/–) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–</u>

1– जुबैर पुत्र लल्ला, निवासी 476/318 सीतापुर रोड़ खदरा चुंगी पुरानी बांस मण्डी थाना मदेयगंज जनपद लखनऊ। स्थायी पता–ग्राम रठौरा तहसील बडौत थाना छपरौली जनपद बागपत

<u>बरामदगी :–</u>

1– 2,16,000 एमएल आक्सीटोसीन तथा 1,75,000 एमएल केमिकल(आक्सीटोसीन) (कीमत रूपये 70,00,000/–)
2– 14,000 हजार प्लास्टिक की खाली बोतल।
3– 03 अदद हैण्ड सीलिंग मशीन तथा रबर स्टापर।
4– 01 अदद मोबाइल फोन
5– 01 अदद पीटीएम बार कोड।
6– 01 अदद आधार कार्ड
7– रूपये 1,300/– नगद।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः–</u>

दिनॉक–30–01–2025 समय 23.30 बजे, मुण्डे टेलर मास्टर के मकान कहारन टोला पुरानी बांस मण्डी सीतापुर रोड थानाक्षेत्र मदेयगंज जनपद लखनऊ।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को बिहार/दिल्ली राज्य से अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री अमित कुमार नागर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 राजेश मौर्य, मु0आ0 रूद्र नारायण उपाध्याय, मु0आ0 अशोक गुप्ता, विजय वर्मा, मु0आ0 कौशलेन्द्र प्रताप सिंह चालक त्रिदेव मिश्रा एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद लखनऊ में

भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग गिरोह बनाकर बिहार/दिल्ली राज्य से भारी मात्रा में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन मंगाकर लखनऊ एवं आस–पास के जनपदों में इसकी अवैध रूप से सप्लाई करते है। यह भी ज्ञात हुआ कि इस गिरोह द्वारा आक्सीटोसीन इन्जेक्शन में फिनाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जानवरों सहित जन मानस के लिए भी बहुत ही घातक है। इस गिरोह का मुख्य सदस्य कहारन टोला पुरानी बांस मण्डी सीतापुर रोड थानाक्षेत्र मदेयगंज जनपद लखनऊ स्थित मुण्डे टेलर मास्टर के किराये के मकान में फिलिंग का कार्य करते है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा औषधि निरीक्षक श्री संदेश मौर्या व निलेश कुमार शर्मा को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुँचकर देखा गया तो वहॉ पर 01 व्यक्ति द्वारा आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की अलग–अलग शीशियों में फिलिंग करते हुए पाया गया। जिस पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मौके से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसका एक गिरोह है, जो लखनऊ एवं आस–पास के जनपदों में अवैध रूप से आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की सप्लाई करता है। यह लोग दिल्ली/बिहार राज्य से हाई डेनिसिटी के आक्सीटोसीन इन्जेक्शन पार्सल के माध्यम से अंकुर लोनी गाजियाबाद उ0प्र0 से मिनरल वाटर बताकर मंगाता है। जुबैर व अंकुर द्वारा आवश्यकतानुसार अपने हिसाब से अलग अलग साइज के एम्पुल में पैक करके सोनू यादव निवासी दुबग्गा दसेहरी मोड लखनऊ, 2–बाबा गाजी निवासी डिपो मिश्रपुर चौराहा जनपद लखनऊ 3–जब्बार निवासी डिपो मिश्रपुर चौराहा जनपद लखनऊ, 4–रिहान तिकोनिया थाना पारा जनपद लखनऊ को जनपद लखनऊ के आस–पास के जनपदों में सप्लाई करने हेतु देते है। इस इन्जेक्शन का इस्तेमाल पशुओं के दुध निकालने, सब्जियों एवं फलों को कम समय में अधिक विकसित होने आदि के लिए किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा दिनाँक 14–08–2024 थाना–क्षेत्र आशियाना, लखनऊ से आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को 36 पेटी (लगभग 2,80,899 एम्पुल) तथा दिनांक 29–11–2024 को 02 व्यक्तियों को 2,21,960 एमएल आक्सीटोसीन के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 39,55,327 रूपये थी।

स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्याः 242(ई) दिनांक 03–04–2001 द्वारा औषधि एवं प्रशाधन नियमावली–1945 के नियम 105 के अन्तर्गत आक्सीटोसीन इन्जेक्शन के विक्रय को मात्र सिंगल यूनिट ब्लिस्टर पैक में ही प्राविधानिक किया गया है। अवैध रूप में आक्सीटोसीन का व्यापार करना जन मानस के जीवन को संकट उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना होती है। इस इन्जेक्शन में फिनायल के मिलावट के तथ्यों के सम्बन्ध में उसका सैम्पल लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मदेयगंज, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 17/2025 धारा– 318(4), 319(2), 280, 112, 276 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया।, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।